निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

11 पौष 1936 (श0)

(सं0 पटना 2) पटना, वृहस्पतिवार, 1 जनवरी 2015

बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद

विद्यापति मार्ग, पटना–800001

अधिसूचना

8 नवम्बर 2014

सं0 1038—मधेपुरा जिलान्तर्गत सिंहेश्वर स्थित सिंहेश्वर स्थान मन्दिर न्यास बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद के तहत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन संख्या 180 है। इस प्रसिद्ध मन्दिर के सुचारू प्रबंधन हेतु बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950(1951 का प्रथम कानून) की धारा–32 के अन्तर्गत माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या– 1255/1996 में दिनांक 09.07.2013 को पारित आदेश के आलोक में पर्षदीय अधिसूचना ज्ञापांक 1199 दिनांक 25.09.2013 द्वारा एक योजना निरूपित की गई थी। माननीय उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने इसमें हस्तक्षेप नहीं था। उस योजना में यह उल्लेख था कि जबतक नवीन समिति का गठन नहीं होता , तबतक अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा को बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम की धारा–33 के अन्तर्गत अस्थायी न्यासधारी नियुक्त किया जाता है। वर्ष 2007 में अधिनियम में हुए संशोधन के पश्चात् अस्थायी न्यासधारी का कार्यकाल एक वर्ष की अवधि से अधिक नहीं हो सकता और चूंकि यह अवधि पूरी हो गई है, अतः पर्षदीय अधिसूचना ज्ञापांक 1199 दिनांक 25.09.2013 के अध्ययीन श्री सिंहेश्वर स्थान मन्दिर तथा इसकी सम्पत्तियों के समुचित प्रबंधन, प्रशासन एवं संचालन तथा निधियों के नियोजन एवं व्ययन के लिए इस अनुपूरक योजना के तहत एक न्यास समिति का गठन किया जाता है। सम्प्रति इस न्यास समिति के निम्नलिखित पदाधिकारी एवं सदस्य नियुक्त किए जाते हैं:–

1. जिलाधिकारी, मधेपुरा(पदेन) – अध्यक्ष
2. श्री समीर कुमार झा, अवकाश प्राप्त जिला न्यायाधीश,
   केनरा बैंक के सामने, मेन रोड, वार्ड नं0–19, मधेपुरा – सचिव

3. प्रभारी न्यायाधीश, व्यवहार न्यायालय, मधेपुरा – उपाध्यक्ष
4. श्री भुपेन्द्र प्रसाद मधेपुरी – सदस्य
5. श्री मनीष सर्राफ – सदस्य।
6. पंडा समाज अपने बीच से दो प्रतिनिधि चुनकर भेजेंगे। यदि 31.12.2014 तक कोई नाम प्राप्त नहीं होता है, तो पर्षद की ओर से उनका नामांकन होगा।
7. पंडा समाज अपने बीच से दो प्रतिनिधि चुनकर भेजेंगे। यदि 31.12.2014 तक कोई नाम प्राप्त नहीं होता है, तो पर्षद की ओर से उनका नामांकन होगा।
8. पंडा समाज के विरूद्ध जिन लोगों ने वाद कायम किया था, उनमें से एक प्रतिनिधि का नाम उनसे 31.12.2014 तक प्राप्त किया जायेगा। वे नाम नहीं भेजते हैं तो पर्षद की ओर से मनोनीत किया जायेगा।
9. इसमें अनुसूचित जाति से किसी व्यक्ति को रखा जायेगा।
10. रिक्त
11. रिक्त } बाद में मनोनीत किया जायेगा।

क्रमांक 6 से 8 तक के प्रतिनिधित्व के लिए न्यास समिति उन्हें सूचित करेगी।

पूर्व प्रकाशित योजना में उल्लेखित नियम/शर्तें/प्रावधानों के अतिरिक्त न्यास समिति निम्नलिखित कर्त्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन करेगीः–

(1) अधिनियम की धारा 32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम '' श्री सिंहेश्वर स्थान मन्दिर न्यास योजना'' होगा तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम '' श्री सिंहेश्वर स्थान मन्दिर न्यास समिति'' होगा।

(2) मन्दिर एवं उसकी समग्र चल–अचल सम्पत्तियों का प्रबंधन, संचालन एवं प्रशासन का अधिकार न्यास समिति में निहित होगा।

(3) इस न्यास समिति का प्रमुख दायित्व शास्त्रीय मर्यादा तथा युगधर्म के अनुरूप मन्दिरों में नियमित पूजन–अर्चन, राग–भोग एवं सामयिक उत्सवों का सम्यक् आयोजन एवं प्रबंधन सुनिश्चित करना होगा।

(4) मन्दिर के सिंहद्वार एवं अन्य भवनों/मंदिरों को भव्य रूप देने के कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देगी।

(5) न्यास समिति मन्दिर में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा, पूजा–पाठ एवं धार्मिक तथा मांगलिक अनुष्ठानों एवं संस्कारिक क्रिया कलाप हेतु समुचित व्यवस्था करेगी तथा इसके लिए सेवा–शुल्क या न्योछावर की राशि का निर्धारण करेगी।

(6) न्यास समिति न्यास की समग्र आय का सम्यक् लेखा–संधारण करेगी और वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर लेखा का अंकेक्षण कराकर उसकी प्रति पर्षद को समर्पित करेगी।

(7) न्यास समिति न्यास की समस्त आय–व्यय में शुचिता एवं पारदर्शिता रखेगी।

(8) मन्दिर में आने वाले आस्थावान् भक्तों में किसी प्रकार का भेद–भाव नहीं किया जायेगा। महिला दर्शनार्थियों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा जायेगा। साथ ही विशेष आयोजनों के अवसर पर भक्तों की सुविधा एवं सुरक्षा का व्यापक प्रबंध सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) न्यास समिति बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम एवं उपविधि में वर्णित सभी प्रावधानों/नियमों का सम्यक् एवं ससमय अनुपालन सुनिश्चित करेगी।

(10) सिंहेश्वर स्थान मंदिर न्यास द्वारा संचालित संस्थाओं, धर्मस्वों का समुचित व्यवस्थापन/प्रबंधन सुनिश्चित करेगी।

(11) न्यास समिति साधु–संतों व विद्वानों के विश्राम, भोजन, वस्त्र की समुचित व्यवस्था करेगी तथा गरीब, असहाय की सहायता करेगी।

(12) अध्यक्ष की अनुमति से सचिव न्यास समिति की बैठक बुलायेंगे। बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष करेंगे। न्यास समिति के प्रस्तावों /निर्णयों को मूर्त्तरूप देने का उत्तरदायित्व सचिव का होगा।

(13) न्यास समिति की बैठक सामान्यतः मन्दिर परिसर में होगी। यह बैठक प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार अवश्य आयोजित की जायेगी।

(14) जिन नियमों का उल्लेख इस योजना में नहीं है, और न्यास हित अथवा लोकहित में आवश्यक समझा जा रहा हो, तो न्यास समिति इस हेतु आयोजित विशेष बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद के अनुमोदन के बाद इसे लागू करेगी।

(15) इस योजना में परिवर्तन, परिवर्द्धन अथवा संशोधन का अधिकार पर्षद में निहित होगा।

(16) न्यास समिति के कोई सदस्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न्यास सम्पत्ति से लाभान्वित होते हुए पाये जायेंगे या आपराधिक पृष्टभूमि के होंगे तो सदस्य बने रहने की उनकी अर्हता समाप्त हो जायेगी।

(17) इस न्यास के पास काफी राशि जमा है, किन्तु उसका उपयोग परोपकार–कार्यों में नहीं होता है, अतः न्यास समिति जनहित में अस्पतालों /विद्यालयों जैसे परोपकारी संस्थाओं को चलाने का उपक्रम करेगी।

(18) इस पूरक योजना में दिनांक 25.09.2013 की योजना से कोई विरोधाभास पाया जायेगा तो दिनांक 25.09.2013 की योजना प्रभावी मानी जायेगी।

न्यास समिति दिनांक 15.11.2014 से प्रभावी होगी और इसका कार्यकाल 05 वर्षों का होगा। अभी न्यास समिति में मात्र 05(पाँच) सदस्य रखे जाते हैं। भविष्य में व्यापक प्रतिनिधित्व देने के लिए न्यास समिति के सदस्यों की संख्या बढ़कार 11(ग्यांरह) तक की जायेगी।

आदेश से,
किशोर कुणाल,
अध्यक्ष।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 2-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in